न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खोड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
नवाराम पुत्र दरगाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- असावा, तहसील-रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1. ग्राम पंचायत, सनवाडा जरिये सरपंच, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. अध्यक्ष, ग्राम सभा, ग्रामानी ग्राम असावा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. कैलाशचन्द्र पुत्र धीरजलाल जी, जाति-रावल ब्राह्मण, निवासी-असावा, तहसील- रेवदर
4. प्रकाशचन्द्र पुत्र धीरजलाल जी, जाति-रावल ब्राह्मण, निवासी-असावा, तहसील-रेवदर

पंचायत निगरानी संख्याः 10/2019

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 22 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1994 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 16.7.2019 को अप्रार्थी संख्या- 1 (अध्यक्ष, ग्राम सभा, असावा) उपस्थित हुये, लेकिन उसके बाद अप्रार्थी संख्या-1 उपस्थित नही हुये व न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये व न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ग्राम असावा, ग्राम पंचायत, सनवाडा के निवासी है। प्रार्थी के भूखण्ड के कुल दो भूखण्डों के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को तथाकथित भूखण्ड दर्शाया है, जो प्रार्थी के विधिक स्वामित्व अधिकारों से इन्कार करता है। यह कि दिनांक 19.10.1994 को अप्रार्थी संख्या-2 अध्यक्ष, ग्राम सभा, असावा के तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम पुरोहित ने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफ[illegible] 120 कुल 4800 वर्गफीट का जारी किया है, जिसका विवरण [illegible] में 15 फीट [illegible] में 15 फीट रास्ता, उत्तर में नारायणदास वैष्णव व दक्षिण में [illegible] पट्टा नियम विरुद्ध

....पेज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में जारी पट्टे के संबंध में मिसल एवं बैठक रजिस्टर आदि रेकर्ड उपलब्ध नही है एवं यह पट्टा कुटरचित दस्तावेज है। यह कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 268 ग्राम असावा, तहसील रेवदर, जिला- सिरोही की दर्ज चतुर्दशी के अनुसार उत्तर दिशा में नारायणदास वैष्णव (पट्टा संख्या 55) का भूखण्ड दर्शाया है, जबकि नारायणदास पुत्र भगवानदासजी वैष्णव के उक्त पट्टा संख्या 55 के दक्षिण में पडत भूमि दर्शित की गई है। जबकि ग्राम पंचायत के एवं पूर्व नक्शे अनुसार उक्त भूखण्डों के प्रमाणित नक्शें के अनुसार भूखण्ड संख्या 1 से 189 में 120 बाय 40 वर्गफीट का एक भी भूखण्ड नही है तथा दो भूखण्ड मिलाने पर भी भूखण्ड का नाप 120 बाय 40 कुल 4800 वर्गफीट का न तो बनता है और न ही साबित होता है। ग्रामदानी ग्राम सभा ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई प्रस्ताव पारित किया है एवं न ही मौके की जांच की है। प्रश्नगत पट्टा कुटरचित दस्तावेज है जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 नाजायज कब्जा करना चाहते है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 268 के पृष्ठ भाग में उक्त पट्टे की चतुर्दशी में उत्तर व दक्षिण में क्रमशः नरेन्द्र कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार के भूखण्ड एवं सिरोडी जाने का रोड पकी सडक को काटकर उत्तर व दक्षिण की चतुर्दशी में हेराफेरी कर जालसाजी की है। प्रश्नगत भूखण्ड के दक्षिण दिशा में मौके पर सिरोडी जाने का रोड पक्का सडक स्थित नही है और न ही प्रश्नगत भूखण्ड एवं उक्त पट्टे की भूमि नारायणदास वैष्णव एवं बाबुलाल चमनाजी प्रजापत के मध्य ही स्थित है। नारायणदस वैष्णव एवं बाबुलाल चमनाजी प्रजापत की पट्टा भूमि के मध्य मोके पर 120 बाय 40 कुल 4800 वर्गफोट भूमि उपलब्ध नही है इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टा कुटरचित दस्तावेज है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन दर्ज किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1994 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि दिनांक 19.10.1994 को अप्रार्थी संख्या- 2 अध्यक्ष, ग्राम सभा, असावा श्री तुलसीराम पुरोहित व कमेटी अध्यक्ष श्री जवाहरलाल पुरोहित ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1994 को जारी किया है वह नियमानुसार है एवं भूमि क्रय की राशि रुपये 160/-, दरखास्त स्टाम्प शुल्क 2/- रुपये व नक्शा फीस 22/- रुपये कुल 184/- रुपये जरिये रसीद संख्या 2401 दिनांक 19.5.1993 से ग्राम सभा, ग्रामदानी ग्राम, असावा में जमा करवाये है। उक्त पट्टा संख्या 268 की चतुर्दशी पूर्व में 15 फीट का रास्ता, पश्चिम में 15 फीट का रास्ता, उत्तर में नारायणदास का भूखण्ड एवं दक्षिण दिशा में बाबुलाल चमनाजी प्रजापत का भूखण्ड है एवं भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट है जो मौके की स्थिति अनुसार सही अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 268 की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में नारायणदास वैष्णव का पट्टा दर्शित है, लेकिन नारायणदास का पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में पट्टा जारी करने से कई वर्षो पूर्व जारी किया गया था। नारायणदास के पक्ष में पट्टा संख्या 55 जारी करने के वक्त भूमि मौके पर खाली थी। पट्टा संख्या 268 के नाप के संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा ग्राम सभा ग्रामदानी ग्राम असावा से निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु दिनांक 01.10.1995 को प्रार्थना पत्र दिया तो ग्रामदानी ग्राम असावा के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण करने पर उक्त भूखण्ड का नाप पूर्व-पश्चिम 60-60 फीट व उत्तर-दक्षिण 80-80 फीट नाप की कुल 4800 वर्गफीट पर ही कब्जा पाया गया जिस पर निर्माण की स्वीकृति ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा के [illegible] अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि ग्रामदानी ग्रामसभा असावा ने [illegible] से पूर्व नियमानुसार

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यवाही हेतु हुए एवं मौके की जांच कर ग्रामसभा में संकल्प पारित करके एवं भूमि विक्रय की राशि पंचायत कोष में जमा होने के बाद अप्रार्थी संख्या- 3 व 4 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अध्यक्ष, ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल पूर्व-पश्चिम 120 फीट एवं उत्तर-दक्षिण 40 फीट कुल 4800 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1994 को जारी किया गया है। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज श्री नारायणदास वैष्णव के पट्टा संख्या 55 की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि श्री नारायणदास वैष्णव के पट्टा संख्या 55 की दक्षिण दिशा में पडत भूमि होना अंकित किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1994 के पुस्त भाग में अंकित चतुर्दशी में उत्तर में नरेन्द्र कुमार जितेन्द्र कुमार व दक्षिण दिशा में सिरोही जाने का रोड पकी सडक को काटकर उत्तर दिशा में नारायणदास वैष्णव व दक्षिण दिशा में बाबुलाल चमनाजी प्रजापत अंकित किया है। हालांकि श्री नारायणदास को ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा पट्टा संख्या 55 पहले जारी किया हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1994 को जारी किया हुआ है, परन्तु प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधित नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह पाया गया कि इस नक्शा प्लान में भूखण्ड संख्या 1 से 189 तक में 120X40 फीट कुल 4800 वर्गफीट भूमि का एक भी भूखण्ड नही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा ने मौके की सही रुप से जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को प्रश्नगत पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1984 को जारी किया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण ग्राम पंचायत, उडवारिया को प्रश्नगत पट्टे के संबंध में मौके व रेकर्ड की जांच करके पुन: विधि सम्मत कार्यवाही करने करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 268 दिनांक 19.10.1994 को निरस्त कियां जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, उडवारिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खोड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:27 IST
Reason: SelfAttested